न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 278/2012

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री मुरलीधर जाति अग्रवाल साकिन 3 बी 7 सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर।
2. श्री हनी शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अधिवक्ता ::–

1. श्री पैरोकार राज — प्रार्थी
2. श्री जितेन्द्र सरपाल अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 20.09.2016

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम चक 6 जैड ए के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1/0.228, 2/.253, 3/.101, 8/.101, 9/.253, 10/.227, 11/.228, 12/.253, 13/.101, 18/.101, 19/.253, 20/.228, 21/.228, 23/.101 कुल 2.656 हैक्टर खातेदारान के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है, मौके पर 7 फलेटों का कार्य चल रहा है, तथा मौके पर सड़के बना ली गई है, एवम् खम्बे भी लगे हुए है तथा अवैध कालोनी मैट्रो सिटी के नाम से चल रही है।

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्ष्म अधिका से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है। उक्त वर्णित कुल 2.656 हैक्टर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री संजय वर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या के नोटिस की तामील होने के उपरान्त कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से दिनांक 22.01.2014 को श्री संजय वर्मा अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

किया कि उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित होना स्वीकार है, परन्तु यह भूमि ना तो आवंटित की गई है। और ना ही किसी विशेष शर्त्त या कारण पर इन अप्रार्थीगण को प्रदान की गई हैयह भूमि तत्कालीन बीकानेर राज से निर्धारित की गई राशि का भुगतान कर खरीद की गई थी। एवम् उस भू–स्वामी द्वारा बाद में आगे इसे विक्रय किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब बीकानेर राज से भूमि खरीद की गई थी जब प्रभावी नहीं हुआ था। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तो बाद में 1955 में प्रभावी हुए है। यह अंकित नहीं किया गया है, कि कौन सी भूमि किसके नाम एवम् क्या यह मुश्तरखा है, अथवा अलग–अलग। अगर अलग–अलग है, तो प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वाद पत्र में विवरण अधूरा अंकित किया गया हैं निर्माण कार्य, सडके कब से हैं वर्णित नहीं किया गया है। कॉलोनी कब से चल रही हैं यह ना तो किसी रिपोर्ट में हैं ना ही इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि काफी पूर्व में ही भूमि रुपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एंव उसकी कार्यवाही लम्बित है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई कार्य अवैध रुप से नहीं किया गया हैं ओर ना ही कॉलोनी अवैध है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जावें।

वादी संख्या 1 की और से जबाब प्राप्त होनें दिनांक 30.09.2014 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि चक 6 जेड के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.656 हैक्टयर भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना ही मौके पर सड़के, आवासीय मकान एंव प्लाट काटकर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रही हैं जो कि अवैध कालोनी मेट्रोसिटी के नाम चल रही हैं राज्य हित में निहित की जावे ? – वादी
2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही बहुत पूर्व से कर रखी हैं। वर्तमान स्थिति में प्रार्थनापत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज योग्य हैं ? – प्रतिवादी
3. अनुतोष।

दिनांक 03.03.2015 को स्टेट की ओर से पटवारी के ब्यान वा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवासीय कॉलोनी आबाद है। पक्की सड़के पक्के मकान, लाईट पानी की सुविधा उपलब्ध है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, बल्कि दिनांक 15.09.2015 को लिखित बहस प्रस्तुत की हैं।

दिनांक 27.05.2016 को अप्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्हें पैरवी करने की हिदायत नहीं हैं। अप्रार्थीगण की ओर से ओर कोई वकील भी उपस्थित नहीं आये। पैरोकार राज उपस्थित। पैरोकार राज ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रकरण 19.11.2012 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद से उक्त विवादास्पद भूमि पर किसी प्रकार से कोई कृषि कार्य नहीं हुआ है और आज भी मौका के अनुसार पक्की सड़क बनी हुई है ओर अकृषि प्रयोग में आ रही है। अप्रार्थी के द्वारा भूमि संपरिवर्तन करवाये बिना ही अकृषि कार्य किया हैं। भूमि संपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई राशि जमा करवाई गई हैं अथवा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा हैं, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

पैरोकार राज की बहस सुनने के उपरान्त प्रकरण में वास्ते आदेश दिनांक 31.05.2016 मुकर्र की गई। दिनांक 31.05.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित आये और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 जैड (ए) का खाता संख्या 23/11 मुरब्बा नम्बर 43 में 2.210 हैक्टर नहरी में से किला नम्बर 23/.133 24/.051 कुल 0.184 हैक्टर भूमि की मौका की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर के अनुसार चक 6 जैड (ए) का खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 23/.133 24/.051 कुल 0.184 हैक्टर भूमि मौके पर खाली है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त रकबा नहरी दर्ज है।

दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि चक 6 जैड (ए) का खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 23/.133 24/.051 कुल 0.184 हैक्टर भूमि मौके पर खाली है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त रकबा नहरी दर्ज है इस भूमि में कोई गैर कृषि कार्य नहीं है। इसलिये वाद वादी खारिज किया जावे। पैराकार राज द्वारा वाद के कथनों को ही पुनः दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता की लिखित बहस तथा दिनांक 14.09.2016 को राज पैरोकार तथा अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं होनें के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मजिद बहस पर पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अध्यन किया गया जिसके अनुसार पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार चक 6 जैड ए के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1/0.228, 2/.253, 3/.101, 8/.101, 9/.253, 10/.227, 11/.228, 12/.253, 13/.101, 18/.101, 19/.253, 20/.228, 21/.228, 23/.101 कुल 2.656 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज खातेदारी है, जिसको प्रार्थी द्वारा अपनें जबाब में स्वीकार किया है।

परन्तु अप्रार्थी द्वारा वाद में वर्णित भूमि 6 जैड ए के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1/0.228, 2/.253, 3/.101, 8/.101, 9/.253, 10/.227, 11/.228, 12/.253, 13/.101, 18/.101, 19/.253, 20/.228, 21/.228, 23/.101 कुल 2.656 हैक्टर के सम्बंध में इस आश्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि इस भूमि पर गैर कृषि कार्य नहीं किये जा रहे है अथवा गैर कृषि कार्य किये जाने हेतु किसी सक्ष्म न्यायालय/कार्यालय में नियमन करवाये जानें हेतु आवेदन विचाराधीन है।

अतः उक्त तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार से किया जाता हैं।

1. तनकी नम्बर 1 :– चक 6 जेड के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.656 हैक्टयर भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना ही मौके पर सड़के, आवासीय मकान एंव प्लाट काटकर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रही हैं जो कि अवैध कालोनी मेट्रोसिटी के नाम चल रही हैं के सम्बंध में अप्रार्थी के द्वारा भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा ना ही यह सिद्ध कर पाये है, कि उक्त भूमे पर गैर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इस कारण इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता हैं।
2. तनकी नम्बर 2 :– उक्त विवादास्पद भूमि में भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ओर ना ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दस्तावेजात है। कृषि भूमि पर गैरकृषि कार्य कर खातेदारी शर्तो की स्पष्ट उल्लघना करनें के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को हैं। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्व किया जाता हैं।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी

हमने प्रस्तुत वाद पत्र का गहन अवलोकन किया। वाद पत्र में वर्णित उक्त विवादास्पद भूमि पर कृषि जोत का कार्य नहीं होकर अकृषि उपयोग कार्य हो रहा है। बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये मौके पर प्लाट काटकर/सडके बनाकर आदि का कार्य गैरकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंना की गई हैं तथा उक्त तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुऐ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 6 जैड ए के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1/0.228, 2/.253, 3/.101, 8/.101, 9/.253, 10/.227, 11/.228, 12/.253, 13/.101, 18/.101, 19/.253, 20/.228, 21/.228, 23/.101 कुल 2.656 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 20.09.2016 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।